रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 930] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 27, 2007/श्रावण 5, 1929
No. 930] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 27, 2007/SRAVANA 5, 1929

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जुलाई, 2007

(आय-कर)

का.आ. 1281(अ).—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर नियम, 1962 के नियम 12 के उप-नियम (3) के साथ पठित आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 139 की उप-धारा (1ख) और धारा 139घ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और आय की विवरणी का इलेक्ट्रानिक प्रस्तुतीकरण स्कीम, 2004 को, जो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की अधिसूचना का.आ. 1073(अ), तारीख 30 सितम्बर, 2004 के अधीन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित हुई थी, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जो अधिक्रमण से पूर्व की गई हैं या जिनको किए जाने का लोप किया गया है, निम्नलिखित स्कीम विनिर्दिष्ट करता है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ -

(1) इन स्कीम का संक्षिप्त नाम आय की विवरणी का इलेक्ट्रानिक प्रस्तुतिकरण स्कीम, 2007 है ।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी ।

2. परिभाषाएं - इस स्कीम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "अधिनियम" से आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) अभिप्रेत है ;

(ख) "बोर्ड" से केन्द्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 (1963 का 54) के अधीन गठित केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड अभिप्रेत है ;

(ग) "अंकीय चिन्हक" से प्रमाणक प्राधिकारी नियंत्रक द्वारा ऐसे प्रमाणपत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत किसी प्रमाणक प्राधिकारी द्वारा जारी अंकीय चिन्हक अभिप्रेत है ;

(घ) " पात्र व्यक्ति" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे स्थाई लेखा संख्यांक आबंटित किया गया है और जो आय की विवरणी या प्ररूप आईटीआर-1, प्ररूप आईटीआर-2, प्ररूप आईटीआर-3, प्ररूप आईटीआर-4, प्ररूप आईटीआर-5, प्ररूप आईटीआर-6 या प्ररूप आईटीआर-8 में अनुषंगी फायदों की विवरणी देने के लिए अपेक्षित है ;

स्पष्टीकरण - कोई फर्म या कोई कंपनी, जो आय-कर नियम 1962 के नियम 12 के उपनियम (3) के उपबंधों कि अधीन, अंकीय चिन्हक हस्ताक्षर से इलेक्ट्रानिक रूप में कोई विवरणी प्रस्तुत करने के लिए या इलेक्ट्रानिक रूप में विवरणी के डाटा पारेषित करने के लिए और उसके पश्चात् प्ररूप आईटीआर-5 में विवरणी का सत्यापन प्रस्तुत करने के लिए अपेक्षित है, वह इस स्कीम के प्रयोजन के लिए पात्र व्यक्ति भी है ।

(ङ) " ई-विवरणी" से इस स्कीम के अधीन प्रस्तुत की गई विवरणी का इलेक्ट्रानिक रूप से पारेषित डाटा अभिप्रेत है जिसके समर्थन में आय को सम्यक् रूप से सत्यापित प्ररूप आईटीआर-5 फाइल किया गया है ;

(च) " ई-विवरणी प्रशासक" से ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है जो आय-कर आयुक्त की पंक्ति से नीचे का नहीं है और जिसे इस स्कीम के प्रशासन के प्रयोजन के लिए बोर्ड द्वारा अभिहित किया गया है ;

(छ) " ई-विवरणी मध्यवर्ती" से इस स्कीम के अधीन ई-विवरणी मध्यवर्ती के रूप में प्राधिकृत व्यक्ति अभिप्रेत है ;

(ज) " प्ररूप" से आय-कर नियम, 1962 की परिशिष्ट-2 में यथा उपवर्णित प्ररूप अभिप्रेत है ;

(झ) " रजिस्ट्रार" से इस स्कीम के अधीन रजिस्ट्रार के रूप में कार्य करने के लिए बोर्ड द्वारा नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है ;

(ञ) " नियम" से आय-कर नियम, 1962 में अंतर्विष्ट नियम अभिप्रेत है ;

(ट) उन शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं और अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो अधिनियम में क्रमशः उनका है ।

3. ई-विवरणी का फाइल किया जाना - (1) कोई पात्र व्यक्ति, जो आय-कर नियम, 1962 के नियम 12 के उपनियम (3) के परंतुक के खंड (क) में निर्दिष्ट कोई कंपनी या कोई फर्म या कोई अन्य पात्र व्यक्ति है, किसी निर्धारण वर्ष 2007-08 या किसी पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्ष के लिए अपनी ऐसी आय की विवरणी को जिसको वह अधिनियम की धारा 139 या धारा 142 की उपधारा (1) के खंड (i) या धारा 148 की उपधारा (1) या धारा 153क के अधीन देने के लिए अपेक्षित है या अनुषंगी फायदों की ऐसी विवरणी को जिसको वह अधिनियम की धारा 115 बघ की उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन देने के लिए अपेक्षित है, अपने विकल्प पर किसी ऐसे ई-विवरणी मध्यवर्ती को दे सकेगा जो ऐसी विवरणी के डाटा को अंकित करेगा और उसे नियत तारीख को या उससे पूर्व ई-विवरणी प्रशासक द्वारा इस प्रयोजन के लिए अभिहित सर्वर को इलेक्ट्रानिक रूप से पारेषित करेगा ।

(2) पात्र व्यक्ति, निर्धारण अधिकारी को, ई-विवरणी मध्यवर्ती द्वारा प्राप्त इलैक्ट्रानिक डाटा के लिए अनंतिम रसीद को जारी किए जाने के पंद्रह दिन के भीतर, सम्यक् रूप से सत्यापित प्ररूप आईटीआई-5 देगा और वह तारीख जिसको ऐसी रसीद जारी की गई है, विवरणी फाइल करने की तारीख समझी जाएगी ।

(3) जहां प्ररूप आईटीआर-5, उपपैरा (2) में विहित समय के भीतर नहीं दिया गया है वहां प्ररूप आईटीआर-5 को दिए जाने की तारीख, विवरणी को फाइल करने की तारीख समझी जाएगी ।

4. आय की पुनरीक्षित विवरणी - यदि पैरा (3) में यथावर्णित किसी पात्र व्यक्ति ने इस स्कीम के अधीन किसी निर्धारण वर्ष के लिए आय की विवरणी या अनुषंगी फायदों की विवरणी दे दी है तो वह इस स्कीम के अधीन उस निर्धारण वर्ष के लिए अधिनियम की धारा 139 की उपधारा (5) के अधीन आय या अधिनियम की धारा 115बघ की उपधारा (4) के अधीन अनुषंगी फायदों की पुनरीक्षित विवरणी दे सकेगा ।

5. ई-विवरणी मध्यवर्ती की अर्हताएं - (1) ई-विवरणी मध्यवर्ती के पास निम्नलिखित अर्हताएं होंगी, अर्थात् :-

(क) उसको, अधिनियम की धारा 2 के खंड (36क) में यथापरिभाषित पब्लिक सेक्टर कंपनी या कोई अन्य कंपनी जिसमें जनता, अधिनियम की धारा 2 के खंड (18) के अर्थान्तर्गत पर्याप्त रूप से हितबद्ध है, होनी चाहिए ; या

(ख) चार्टर्ड अकाउन्टेंट या अधिवक्ताओं की कोई फर्म जिसको स्थाई लेखा संख्यांक आबंटित किया गया है ; या

(ग) कोई चार्टर्ड अकाउन्टेंट या कोई अधिवक्ता जिसको कोई स्थाई लेखा संख्यांक आबंटित किया गया है ; या

(घ) कोई सरकारी विभाग का कोई आहरण या संवितरक अधिकारी ।

(2) ई-मध्यवर्ती के पास प्रमाणक प्राधिकारी नियंत्रक द्वारा ऐसे प्रमाणपत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत प्रमाणक प्राधिकारियों में से किसी से, कम से कम श्रेणी-2 का अंकीय चिन्हक प्रमाणपत्र होना चाहिए ।

(3) ई-मध्यवर्ती के पास, वह सुनिश्चित करने के लिए कि निर्धारिती की सूचना की गोपनीयता उचित तौर पर सुरक्षित है, ई-विवरणी प्रशासक के समाधानप्रद रूप में सुरक्षा प्रक्रिया होनी चाहिए ।

(4) ई-मध्यवर्ती के पास ई-विवरणियों के लिए जो उसके द्वारा फाइल की जाएंगी, ऐसे आवश्यक आर्किवल, रिट्रिवल और सुरक्षा नीति होनी चाहिए, जो ई-विवरणी प्रशासक द्वारा समय-समय पर विनिश्चित की जाएं ।

(5) ई-मध्यवर्ती या उसका मुख्य अधिकारी किसी वृत्तिक अवचार, कपट, गबन या किसी दांडिक अपराध के लिए, यथास्थिति, किसी न्यायालय द्वारा या किसी वृत्तिक निकाय द्वारा सिद्धदोष नहीं ठहराया गया हो ।

6. ई-विवरणी मध्यवर्ती को प्राधिकृत किया जाना - (1) ई-मध्यवर्ती के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए अर्हित व्यक्ति रजिस्ट्रार को ऐसी आवेदन फीस के साथ आवेदन करेगा जो ई-विवरणी प्रशासक द्वारा समय समय पर विनिश्चित किया जाए ।

(2) आवेदन की प्राप्ति पर, रजिस्ट्रार यह सत्यापित करेगा कि आवेदन पूर्ण है और आवश्यक दस्तावेजों द्वारा सम्यक् रूप से समर्थित है ।

(3) किसी कमी की दशा में उन कमियों को ऐसी सूचना में विनिर्दिष्ट समयावधि के भीतर दूर करने के लिए आवेदक को उसकी संसूचना दी जाएगी ।

(4) ऐसे आवेदनों पर, जो पैरा 5 में विनिर्दिष्ट अर्हताओं को पूरा नहीं करते हैं, आगे कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी ।

(5) विधिमान्य आवेदन की दशा में रजिस्ट्रार आवेदक के अध्यवसाय की सम्यक जांच कराएगा ।

(6)रजिस्ट्रार आवेदन और सम्यक अध्यवसाय रिपोर्ट, ऑन लाइन ई-विवरणी प्रशासक को पारेषित करेगा और उसके बाद ई-विवरणी प्रशासक नियुक्ति आदेश के साथ ई-विवरणी मध्यवर्ती पहचानपत्र संख्यांक (इआरआईआईएन)और ई-विवरणी मध्यवर्ती के रूप में कार्य करने के लिए पासवर्ड जारी कर सकेगा ।

(7) ई-मध्यवर्ती की नियुक्ति दो वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य होगी और उसे दो वर्ष की और अवधि के लिए बढ़ाया जा सकेगा ।

(8) रजिस्ट्रार अपने कर्मचारियों, अभिकर्ताओं, मताधिकारियों आदि सहित ऐसी किसी सूचना की गोपनीयता बनाए रखेगा जो इस स्कीम के कार्यान्वयन के अनुक्रम के दौरान उनके कब्जे में आती है और ऐसी किसी सूचना को, ई-विवरणी प्रशासक की अनुमति के सिवाय किसी को नहीं देगा ।

7. किसी ई-विवरणी मध्यवर्ती कि पूर्वतर स्कीम के अधीन प्रतिभूति निक्षेप का प्रतिदाय - जहां कोई व्यक्ति, आय की विवरणी कि इलेक्ट्रानिक प्रस्तुतिकरण स्कीम, 2004, के अधीन ई-विवरणी मध्यवर्ती के रूप में नियुक्त किया गया है, वहां उसके द्वारा प्रतिभूति निक्षेप, ई-प्रशासक द्वारा विनिश्चित किए गए समय के भीतर, ई-विवरणी प्रशासक द्वारा उसको प्रतिदाय होगा ।

8. पात्र व्यक्ति द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया - ऐसा कोई पात्र व्यक्ति जो इस स्कीम के अधीन अपनी आय की विवरणी देने का विकल्प चुनता है -

(i) यह सुनिश्चित करेगा कि उसकी आय की विवरणी या अनुषंगी फायदे इस स्कीम के अंतर्गत आते हैं ;

(ii) सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए अपनी ई-विवरणी देने के प्रयोजन के लिए अपने अभिकर्ता के रूप में कार्य करने हेतु किसी एक ई-विवरणी मध्यवर्ती से संपर्क करेगा और अपनी सहमति देगा ।

9. ई-विवरणी मध्यवर्तीद्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया -(1) ई विवरणी मध्यवर्ती, यथास्थिति, पात्र व्यक्ति द्वारा सम्यक् रूप से सत्यापित आय की पेपर विवरणी प्राप्त करेगा या पात्र व्यक्ति द्वारा दिए गए दस्तावेजों के आधार पर आय की विवरणी तैयार करेगा ।

(2) मध्यवर्ती स्थाई लेखा संख्यांक के विधिमान्यकरण के पश्चात् आय की पूरी विवरणी को, अपनी ई-विवरणी मध्यवर्ती पहचान संख्यांक (इआरआईआईएन) का उपयोग करते हुए ई-विवरणी प्रशासक द्वारा विनिर्दिष्ट फार्मेट में अपलोड करेगा ।

(3) आवश्यक विधिमान्यकरणों के पश्चात् अपलोड की गई विवरणियों को स्वीकार किया जाएगा । प्रत्येक स्वीकार की गई ई-विवरणी के संबंध में उस प्रणाली द्वारा सम्यक् रूप से भरा गया एक प्ररूप आईटीआर-5 अनंतिम रसीद के रूप में तैयार किया जाएगा जिसे मध्यवर्ती को पारेषित किया जाएगा ।

(4) मध्यवर्ती संबद्ध पात्र व्यक्ति को यदि उसके द्वारा प्ररूप आईटीआर-5 आय-कर विभाग को देने के लिए संग्रहीत किया गया है तो प्ररूप आईटीआर-5 की अभिस्वीकृति रसीद प्रदान करेगा ।

(5) अनंतिम रसीद जारी किए जाने की तारीख आय की विवरणी फाइल करने की तारीख समझी जाएगी यदि प्ररूप आईटीआर-5 निर्धारण अधिकारी को अनंतिम रसीद जारी किए जाने की तारीख से पंद्रह दिन के भीतर फाइल कर दी गई है । यदि प्ररूप आईटीआर-5 डाटा अपलोड करने की तारीख से पंद्रह दिन के पश्चात् फाइल की जाती है तो प्ररूप आईटीआर-5 फाइल करने की तारीख आय की विवरणी फाइल करने की तारीख होगी ।

10. ई-विवरणी पर कार्यवाही - (1) ई-विवरणी पर पूर्विकता के आधार पर कार्यवाही की जाएगी ।

(2) निर्धारिती को शोध्य प्रतिदाय, यदि कोई हो, निर्धारण अधिकारी द्वारा सीधे उसके बैंक खाते में भारतीय रिजर्व बैंक की इलेक्ट्रानिक समाशोधन सेवाओं का उपयोग करते हुए जमा कर दी जाएगी या सीधे निर्धारिती को भेज दी जाएगी ।

11. ई-मध्यवर्ती के कृत्य और दायित्व - ई-विवरणी मध्यवर्ती,-

(क) यह सुनिश्चित करेगा कि निर्धारिती इस स्कीम कि अधीन पात्र व्यक्ति है ;

(ख) यह सुनिश्चित करेगा कि निर्धारिती ने सही और विधिमान्य स्थाई लेखा संख्यांक उद्धृत किया है ;

(ग) यह सुनिश्चित करेगा कि अग्रिम कर, स्वनिर्धारण कर और स्रोत से काटे गए कर की विशिष्टियां संलग्न दस्तावेजों के अनुसार हैं ;

(घ) यह सुनिश्चित करेगा कि आय की पेपर विवरणी निर्धारिती द्वारा उचित रूप से फाइल की गई है और उसके द्वारा सम्यक् रूप से सत्यापित की गई है तथा आय की विवरणी के साथ फाइल किए जाने के लिए अपेक्षित संलग्नक संलग्न हैं ;

(ङ) आय की विवरणी को लिप्यांतर करते समय और उसके पारेषण के दौरान डाटा प्रविष्टि की परिशुद्धता को सुनिश्चित करेगा ;

(च) यह सुनिश्चित करेगा कि आय की विवरणी का इलैक्ट्रानिक भाग आय की विवरणी फाइल करने के लिए नियत तारीख को या उससे पूर्व पारेषित कर दिया जाता है ;

(छ) यह सुनिश्चित करेगा कि पेपर विवरणी संबद्ध निर्धारिती पर अधिकारिता रखने वाले निर्धारण अधिकारी के पास फाइल कर दी गई है ;

(ज) फाइल की विवरणी कि इलैक्ट्रानिक डाटा को और उसके माध्यम से फाइल की गई विवरणियों के संबंध में जारी अनंतिम रसीदों से संबंधित सूचना को सुसंगत निर्धारण वर्ष के अंत से एक वर्ष की अवधि तक प्रतिधारित करेगा ;

(झ) निर्धारिती को उसके द्वारा पेश की गई ई-विवरणी की पेपर प्रति और ई-विवरणी मध्यवर्ती द्वारा निर्धारण अधिकारी को फाइल की गई पेपर विवरणी की अभिस्वीकृति रसीद देगा ;

(ञ) उस सूचना की गोपनीयता कायम रखेगा जो इस स्कीम के कार्यान्वयन के अनुक्रम के दौरान उसके कब्जे में आती है और ऐसी किसी सूचना को, निर्धारिती या निर्धारण अधिकारी की पूर्व अनुमति के सिवाय, किसी को प्रकट नहीं करेगा ;

(ट) यह सुनिश्चित करेगा कि उसके सभी कर्मचारी, अभिकर्ता, मताधिकारी आदि इस स्कीम के उपबंधों का पालन करते हैं ;

(ठ) रजिस्ट्रीकरण के लिए उसके द्वारा फाइल किए गए आवेदन में दी गई विशिष्टियों में किसी परिवर्तन के बारे में रजिस्ट्रार को तत्परता से सूचना देगा ;

(ड) इस स्कीम के उचित कार्यान्वयन के लिए ई-विवरणी प्रशासक द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों का पालन करेगा ।

12. ई-विवरणी प्रशासक - (1) ई-विवरणी प्रशासक डाटा के सुरक्षित ग्रहण और पारेषण को सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रियाएं, फार्मेट और मानक विनिर्दिष्ट करेगा तथा स्कीम के दैनिक प्रशासन के लिए उत्तरदायी भी होगा ।

(2) ई-विवरणी प्रशासक ई-विवरणी मध्यवर्तियों द्वारा स्कीम की तकनीकी अपेक्षाओं के पालन को सुनिश्चित करेगा ।

(3) ई-विवरणी प्रशासक इस स्कीम के उचित और सुरक्षित कार्यान्वयन के लिए समुचित सुरक्षा, आर्किवल और रिर्टीवल नीतियां विकसित और उनको कार्यान्वित करने के लिए उत्तरदायी होगा ।

[अधिसूचना सं. 210/2007/फा. सं. 142/16/2007-टीपीएल]

संबित त्रिपाठी, अवर सचिव